an>

Title: Need to remove compulsion of name in BPL list for release of pensions and increase pension amount for pensioners.

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पैंशनधारियों में बीपीएल की अनिवार्यता समाप्त करने तथा पैंशन राशि बढ़ाए जाने का मामला सदन के सामने रखने की अनुमति चाहता हूं।

भारत सरकार राज्य सरकारों की सहायता से वृद्धा सामाजिक सुरक्षा पैंशन, निशक्त जनों, विकलांगों और विधवा पैंशन की योजना चलाई जा रही है जिसमें हितग्राहियों में बीपीएल में नाम होने की अनिवार्यता इसमें तय कर दी गई है। मैं समझता हूं कि इससे पूरे देश भर में बहुत बड़ी संख्या में पैंशनधारी वंचित हो रहे हैं। इसलिए बीपीएल की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए।

दूसरे, आज महंगाई के युग में पैंशनधारियों को जो पैंशन राशि दी जा रही है, वह बहुत कम है। उस राशि को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। तीसरे, इसमें पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से पैंशन राशि का जो वितरण हो रहा है, पोस्ट ऑफिसों में इतनी मैन पावर नहीं है, इतनी तकनीकी सुविधा भी नहीं है। इस कारण तीन-तीन, चार-चार महीने तक पैंशनधारियों को पैंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस पर भी कोई कारगर कार्यवाही करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि पैंशनधारियों की राशि बढ़ाई जाए और बीपीएल की अनिवार्यता को भी समाप्त किया जाए।